उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल।

रिट याचिका (एम0/एस0) संख्या– 2825/2021

शेखर सिंह पपोला.. याचिकाकर्ता

बनाम।

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य.. उत्तरदातागण।

अधिवक्ताः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री डीके जोशी

श्री प्रदीप हेड़िया, स्थायी अधिवक्ता उत्तराखण्ड राज्य की ओर से।

मानीय शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति।

9 जून 2016 को याचिकाकर्ता/प्रार्थी संख्या–1 द्वारा एक वाद संख्या 33/2016, शेखर सिंह पपोला और अन्य बनाम ठाकुर सिंह और अन्य के रूप में अपनी संपत्तियों के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करने के लिए दायर किया था।

"अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जाय।

(अ)– कि प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाय कि वह ग्राम गुलमपरगड़, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर के खतौनी **खाता संख्या–23 के पै0 खेत नम्बर 7838, 7839 7840, 7864, 7865, 7866** की भूमि में किसी किस्म का हस्तक्षेप करने से हमेशा के लिए निषिद्ध रहे।

(ब)– कि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध आदेशात्मक व्यादेश जारी किया जाय कि वह पैरा 1 में वर्णित भूमि को साबिक सूरत में रखे।

(स)– कि प्रतिवादी सं01 विवादित भूमि में साबिक सूरत रखने के बाद रिक्त कब्जा वादीगण को प्रदान करें।

(द)– कि खर्चा मुकदमा जिम्मे प्रतिवादी नं0 1 हो तथा न्यायालय वादी के पक्ष में जो उचित समझे वह डिक्री भी वादीगण को दिलायी जाय।"

2. उक्त मुकदमे में गुण–दोष के आधार पर कार्यवाही आगे बढी, उक्त मूल वाद संख्या 13/2019, शेखर सिंह पपोला बनाम ठाकुर सिंह और अन्य में न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), बागेश्वर द्वारा दिनांक 29.02.2020 को निर्णय और डिक्री पारित की गयी थी। उक्त निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि अपर जिला न्यायाधीश द्वारा दीवानी अपील संख्या 02/2020 में दिनांक 15.02.2021 को पारित निर्णय एवं डिक्री से की थी। याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत वाद में, राज्य और लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं राज्य सरकार को क्रमशः प्रतिवादी नंबर 2 और 3 बनाया गया। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार प्रतिवादियों के पक्ष में समवर्ती रूप से तय किए गए मुकदमे का, मुकदमे के पक्षकारों पर समान बाध्यकारी प्रभाव पड़ेगा, हालांकि, संपत्ति के एक ही सेट के संबंध में विद्वान दीवानी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत समवर्ती निर्णय शेखर सिंह पपोला और अन्य बनाम ठाकुर सिंह और अन्य, जो 27 जुलाई 2021 को उसी अधिवक्ता के माध्यम से अपीलकर्ता–याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया था, अब दूसरी अपील में विचार का विषय था।

3. दूसरी अपील संख्या–71/2021, शेखर सिंह पपोला और अन्य बनाम ठाकुर सिंह और अन्य, जिन्हें अपीलकर्ता–याचिकाकर्ता द्वारा यहां दायर किया गया था, ने निर्णय को चुनौती दी थी, जिसे वाद संख्या–13/2019 में विवाद्यक संख्या 3 पर निर्णय लेते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। शेखर सिंह पपोला बनाम ठाकुर सिंह आदि। विवाद्यक संख्या 3 पर लिया गया निर्णय इस बात से संबंधित था कि क्या वाद प्रागन्याय के न्यायिक सिद्धांत द्वारा बाधित है अथवा नहीं? यह सी.पी.सी. की धारा 11 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में तय किया गया था, जिसकी बाद में दीवानी अपील में पुष्टि की गई थी, जो दीवानी अपील संख्या–02/2020, शेखर सिंह पपोला बनाम ठाकुर सिंह और अन्य थी और इस प्रकार सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा तय की गई इन कार्यवाहियों में, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के विरूद्ध एक समवर्ती निष्कर्ष दिया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध भी, एक अन्य दूसरी अपील संख्या–71/2021, शेखर सिंह पपोला और अन्य बनाम ठाकुर सिंह और अन्य विचाराधीन हैं, जिसे उसी अधिवक्ता ने 27 जुलाई 2021 को इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष दायर किया था।

4. इतना ही नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (एम0/एस0) संख्या–214/2013, शेखर सिंह पपोला बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के रूप में

पहले रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जो प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध व्यथित था, जिसे इस न्यायालय की Cordinate पीठ द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिये थे कि वह अपीलकर्ता के प्रत्यावेदन का निस्तारण करे।

5. पहले की रिट याचिका में, याचिकाकर्ता द्वारा जो वाद कारण लिये गये वे प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा अतिक्रमण के कथित कृत्य के संबंध में थे, जो वर्तमान रिट याचिका के पैरा 27 में वर्णित खाता नंबर 23 में स्थित श्रेणी 5 भूमि के विरूद्ध मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 1 था।

6. उसी अधिवक्ता के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने 5 दिसंबर 2021 को रिट याचिका दायर की थी, क्योंकि दूसरी अपील दायर करने के तथ्य को जानते हुए और उक्त रिट याचिका के लम्बित रहने के दौरान प्रस्तुत रिट याचिका में अनुतोष को निम्नलिखित तरीके से संशोधित करते हुए निम्नलिखित अनुतोश याचित किया:

''इसलिए, सम्मानपूर्व प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपा करे–

> ***(I)*** *प्रतिवादियों को परमादेश के माध्यम से निर्देश देते हुए कि वे निजी प्रतिवादियों संख्या 7 और 8 को ग्राम गुलाम परगढ़ और नरगारा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर के क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित सड़क पर खनिक खनिजों के परिवहन से रोकें।*
>
> ***(II)*** *परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें उत्तरदाताओं को निजी उत्तरदाता संख्या 7 और 8 के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाही करने का निर्देश दिया जाये जैसा कि ऊपर उल्लिखित उक्त भूमि पर अवैध गतिविधियों को अंजाम देकर सार्वजनिक भूमि को नुकसान पहुंचाया गया।*
>
> ***(III)*** *परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जिसमें उत्तरदाताओं को निजी पते वालों के पक्ष में जारी दिनांक 16.08. 2017 के सरकारी आदेश और निजी पते के पक्ष में जारी सरकारी आदेश दिनांक 19.08.200 की समीक्षा आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत पट्टे को रद्द कर दिया गया है। खानों और खनिजों की खुदाई और उत्खनन के लिए दी गयी है।*
>
> ***(IV)*** *उत्तरदाताओं को मामले की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने और जिम्मेदार अधिकारियों सहित दोषी*

व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाही करने के लिए निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(V) *एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे हर्जाना दिलाया जाये।*

7. वास्तव में, अनुतोष के मॉड्यूलेशन को, यदि रिट याचिका की प्रार्थना के आलोक में ध्यान में रखा जाता है, तो यह संपत्ति थी, जो कि विषय वस्तु थी, जिसके लिए अनुतोष मांगा गया था, जिसका वर्णन याचिकाकर्ता ने स्वयं रिट याचिका में किया है, जो वही संपत्ति है, जो वाद की विषय वस्तु थी, जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील विचाराधीन है। वास्तव में, संस्था की संस्था का सहारा लेना 5 दिसंबर 2021 को बाद की रिट याचिका कुछ और नहीं, बल्कि एक बहाना था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा निर्णय और डिक्री के अधिमान्य प्रभाव को समाप्त करने के लिए अपनाया गया था, जिसे सक्षम नियमित सिविल न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से तय किया गया था, भूमि के उसी सेट के संबंध में, जिसे वाद में वर्णित किया गया था और जिसे पैरा 27 में वर्तमान रिट याचिका में वर्णित किया गया है। इतना भी नहीं, इस रिट याचिका को धारा 11 के तहत निहित प्रावधानों द्वारा रोक दिया जाएगा, जिसे सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 के साथ पढ़ा जाएगा, जबकि 2013 की उनकी पिछली रिट याचिका संख्या 214 पर 8 मार्च 2013 को पहले ही निर्णय किया जा चुका था, और इसके बाद ही याचिकाकर्ता द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। 9 जून 2016 को सिविल कोर्ट के समक्ष, इसका मतलब 2013 के रिट याचिका संख्या 214 के पहले के निर्णय के बाद है, जिसे 8 मार्च 2013 को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा तय किया गया था।

8. वास्तव में, यह एक उपयुक्त मामला है जहां रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि यह कानून न्यायालय की प्रक्रिया का एक स्पष्ट दुरुपयोग है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर और समवर्ती रूप से निर्णय और डिक्री के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अपनाया गया है, जिसे सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा समवर्ती रूप से जारी किया गया है, जो अभी भी दूसरी अपील का विषय है, जिसे अपीलकर्ता–याचिकाकर्ता ने 27 जुलाई 2021 को उसी अधिवक्ता के माध्यम से दायर किया था, जो वर्तमान रिट याचिका में अधिवक्ता है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो भेद करने का प्रयास किया गया है, वह यह है कि वास्तव में, रिट याचिका को इस तथ्य के कारण रोका नहीं जाएगा कि दूसरी अपील विचाराधीन है, क्योंकि यहां, वर्तमान रिट याचिका में, यह राज्य एजेंसियों की ओर से एक निष्क्रियता है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के रूप में रिट याचिका में पक्षकार जोड़ा गया है, जिसे गतिविधि को रोकने की जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार ठहराया गया था। जिसके लिए जमीन के उसी टुकड़े से संबंधित रिट याचिका में अनुतोष मागा गया है, यह तथ्य अधिवक्ता द्वारा भी विवादित नहीं माना गया है।

10. वास्तव में, याचिकाकर्ता की यह दलील कि रिट याचिका बाधित नहीं है क्योंकि यह राज्य की निष्क्रियता है, जो वर्तमान रिट याचिका में चुनौती का विषय है, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है, इस कारण से कि मुकदमे में, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा पसंद किया गया था, वास्तव में, राज्य एजेंसी को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था और उस स्थिति में, याचिकाकर्ता के लिए संपत्ति के एक ही सेट के संबंध में प्रतिवादियों और राज्य के बीच पारस्परिक अधिकारों का निर्णय सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा कार्यवाही के आदेश पर किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं स्थापित किया गया था, जिसने राज्य को मुकदमे में प्रतिवादी होने का विकल्प चुना था। और एक बार जब उन्होंने 2013 में प्रस्तुत की गई पिछली रिट याचिका के निर्णय को प्रस्तुत कर दिया, और बाद में 2016 में एक मुकदमा दायर किया, और दोनों न्यायालयों से समवर्ती रूप से हार गए और उसके बाद 27 जुलाई 2021 को इस न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील को प्राथमिकता दी, जो अभी भी विचाराधीन हैं, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता इस तथ्य से अवगत था कि उसने पहले ही इस संबंध में एक कारण का विरोध किया है। का एक ही सेट दूसरी अपील के साथ–साथ पूर्व की रिट याचिका में भी संपत्ति, और एक चतुर भेद, जिसे गढ़ने की मांग की गई है, कि रिट याचिका में, यह राज्य एजेंसियों के कृत्य पर जोर देता है, जो वास्तव में एक विषय रहा है, याचिकाकर्ता की ओर से सिविल डिक्री के प्रभाव और परिणामों से न्यायालय को विचलित करने के अलावा और कुछ नहीं है, साथ ही उनके विरूद्ध और जैसा कि ऊपर देखा गया है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के इस तर्क की विनम्रता कि रिट याचिका में राज्य एजेंसी की ओर से निष्क्रियता पर विचार किया जाता है, वह अवधारणा है जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता ने स्वयं, मुकदमे में वादी के रूप में राज्य और अधीक्षण अभियंता को चुना है। लोक निर्माण विभाग, जैसा कि प्रतिवादी में से एक है और उसमें भी, यह

एक ही संपत्ति विषय था, इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा सिविल कोर्ट द्वारा तय किए गए संबंधित अधिकारों द्वारा सामना किए जा रहे प्रतिबंधों के प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाई गई एक चतुर और जानबूझकर डिवाइस है। जो द्वितीय अपील का विषय है, क्योंकि रिट याचिका को 5 दिसंबर 2021 को ही दायर किया गया था यानी दूसरी अपील दायर करने के बहुत बाद।

11. यह ध्यान रखना अधिक महत्वपूर्ण है कि द्वितीय अपील, 2021 की द्वितीय अपील संख्या 70 और 2021 की होने के नाते, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय की नियमित समवर्ती डिक्री के विरूद्व प्राथमिकता दी गई थी, जब इसे 27 जुलाई को इस न्यायालय के समक्ष स्थापित किया गया था 2021 में, इसे दोषपूर्ण के रूप में चिह्नित किया गया था, और इसमें अपीलकर्ता को दोष को दूर करने के लिए समन्वय पीठ द्वारा समय दिया गया था, जो 23 अगस्त 2021 तक नहीं किया गया था। इसलिए, वास्तव में, दूसरी अपील में कोई अंतरिम संरक्षण संचालित नहीं होता है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा पसंद किया गया था, इसलिए, 5 दिसंबर 2021 को रिट याचिका को प्राथमिकता देते हुए, इस न्यायालय का विचार है, कि यह याचिकाकर्ता और उसके अधिवक्ता की ओर से भी एक सचेत और जानबूझकर किया गया कार्य है (इस न्यायालय के समक्ष सभी मामलों में आम है), भूमि के एक ही सेट के संबंध में एक समवर्ती कार्यवाही का सहारा लेने के लिए, जो सिविल कोर्ट के डिक्री का हिस्सा है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका कानून अदालत की प्रक्रिया के स्पष्ट दुरुपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है।

12. न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग की अवधारणा मुख्य मुद्दों में से एक है, जिस पर वर्तमान न्यायिक परिदृश्य में ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां वादी द्वारा उसी विषय वस्तु के संबंध में कानून के अन्य प्रावधानों के तहत एक नया मामला स्थापित करने के लिए पूर्व–स्थापित कार्यवाही में अनुकूल आदेश प्राप्त करने में उसकी विफलता पर जानबूझकर और जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं। या एक ही विषय और यदि उपरोक्त प्रक्रिया का सहारा लेना एक चतुर इरादे से है, जो वर्तमान मामले में परिलक्षित होता है, जहां लगभग सभी मामलों में यह वही अधिवक्ता है, जिसने संपत्ति के एक ही सेट के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही दायर की है और लगभग इसी तरह के अनुतोष के लिए उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए, कि उन्होंने स्वच्छ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है और यह जानबूझकर

कानून अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में दिए गए एक न्याय–निर्णय में यही कहा है। (1) एससीसी 560, उद्यमी एवं खादी ग्रामोद्योग कल्याण संस्था और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, जहां पैरा 10 और 16 में, जो निम्नवत् हैं।

> *"10. यद्यपि चार रिट आवेदनों में की गई प्रार्थनाएं स्पष्ट रूप से अलग हैं, रिट आवेदनों को पढ़ने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक मामले में मुख्य मुद्दा बैंक द्वारा अपीलकर्ताओं को दी गई राशि की वसूली से संबंधित है। जाहिर है, कार्यवाही के विभिन्न चरणों में पारित आदेश और मूल धन पर ब्याज पर नई गणना के आधार पर नई कार्यवाही समय–समय पर सवालों के घेरे में रही है। जैसा कि यहां पहले बताया गया है, यहां तक कि एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी जिसमें अपीलकर्ता नंबर 2 भी एक पक्ष था। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 35ए की वैधता उसमें उठाए गए मुद्दों में से एक थी, लेकिन यहां तक कि वसूली की कार्यवाही भी इसका विषय थी।*
>
> *16. एक रिट उपाय एक न्यायसंगत है। एक उच्च न्यायालय के पास जाने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों की एक जोड़ी के साथ आना चाहिए। इसे न केवल किसी भी भौतिक तथ्य को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि बार–बार कानूनी कार्यवाही का सहारा नहीं लेना चाहिए जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। एडवोकेट जनरल, बिहार राज्य बनाम मेसर्स मध्य प्रदेश खैर इंडस्ट्रीज और अन्य ख(1980) 3 एससीसी 311, में, इस न्यायालय की राय थी कि इस तरह से रिट याचिकाओं को बार–बार दायर करना आपराधिक अवमानना के बराबर है।"*

13. उक्त सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्धारित कारणो के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, विशेष रूप से, जैसा कि महाधिवक्ता, बिहार राज्य बनाम एमपी खैर इंडस्ट्रीज के मामले में विचार किया गया है कि न्यायसंगत उपाय यदि किसी व्यक्ति द्वारा संपर्क किया जाता है तो उसे स्वच्छ हाथों से संपर्क करना होगा। अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने के इरादे से तथ्य को छिपाने या तथ्य को तोड़–मरोड़कर पेश करने की अनुमति इस देश की न्यायिक प्रणाली में नहीं दी जा सकती है।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, जो उपरोक्त टिप्पणियों का सामना कर रहे थे, जो वर्तमान रिट याचिका के तर्क के दौरान किए गए थे, ने इसके लिए प्रार्थना की। उन्हें 6 मई 2022 के पहले के आदेश के अनुपालन में, दी गई परिस्थितियों में, और उन कारणों के लिए एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर करने की अनुमति दी जा सकती है, जिन पर पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

15. सबसे पहले, उच्च न्यायालय के नियमों के तहत, प्रत्युत्तर दाखिल करना अधिकार का मामला नहीं है और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका में जवाबी हलफनामे में प्रत्युत्तर हलफनामा दायर करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है। दूसरा, वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा विस्तारित बहस के दौरान स्थिति का सामना करने के बाद, और अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना करते हुए, जहां याचिकाकर्ता पहले से ही संपत्तियों के उसी सेट के संबंध में दूसरी अपील में अपने उपाय का पीछा कर रहा है, उसने एक अनुरोध किया कि रिट याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज करने की अनुमति दी जा सकती है। यह न्यायालय उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि इस न्यायालय को वादियों द्वारा परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, कि जैसे ही याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका को प्राथमिकता दी जाती है और इसे नागरिक अधिकार या संवैधानिक या कानूनी वैधानिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष दायर किया जाता है। कानून के तहत संरक्षित, इसकी स्थापना के बाद, यह अब कोई विकल्प नहीं है, जिसे याचिकाकर्ता के विवेक पर खुला छोड़ दिया जाता है कि वह इसे वापस ले और वह भी वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, जब याचिकाकर्ता ने पहले से ही ऊपर चर्चा की गई स्थिति का सामना किया है।

16. इसलिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए रिट याचिका को खारिज करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता हैः

एक, रिट याचिका और दीवानी वाद में वर्णित संपत्ति वही रहती है;

दूसरा, सिविल वाद में, राज्य एजेंसी पहले से ही पक्षकार था;

तीसरा, याचिकाकर्ता को पहले ही नियमित दीवानी न्यायालय द्वारा निर्णय–देनदार के रूप में निर्णय दिया गया है;

चौथा, याचिकाकर्ता ने मुकदमा दायर करने से पहले भी एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे 2013 में निपटा दिया गया था;

पांचवां, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने दूसरी अपील को प्राथमिकता दी थी, जो दोषपूर्ण थी और अगस्त 2021 तक याचिकाकर्ता द्वारा दोष को ठीक नहीं किया गया था;

छठा, जब उन्होंने 5 दिसंबर 2021 को यह रिट याचिका दायर की, अगर इन सभी तथ्यों को याचिकाकर्ता के साथ–साथ उनके अधिवक्ता को भी जानबूझकर जाना जाता, जो सभी मामलों में समान होते हैं, क्योंकि वह सभी कार्यवाही में आम हैं, तो उनसे एक पेशेवर निष्पक्षता की उम्मीद की गई थी, जो इस महान पेशे में लगे हुए हैं।

17. इसलिए, इस रिट याचिका को 1.00 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाना है। यदि लागत की राशि एक माह में जमा नहीं की जाती है, तो जिला बागेश्वर के कलेक्टर इसकी वसूली सुनिश्चित करेंगे।

(शरद कुमार शर्मा, जे)
18.05.2022